कार्यालय निदेशक जे.के. कैंसर संस्थान,कानपुर

OFFICE OF THE DIRECTOR, J.K. CANCER INSTITUTE, KANPUR

(U.P. Govt. Institution)

Phone: +91 512 2970777

सं0 616-18 /जेके/2025 दिनांक 17.06.2025

विज्ञप्ति

राजकीय जे.के.कैंसर संस्थान, कानपुर उ0प्र0 में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य एम.एस. सी. नर्सिंग इन आंकोलॉजी के रिक्त पद पर साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या – 77/2024/1/682001/2024/71–3099/6/2023–03, दिनांक 03.07.2024 एवं महानिदेशालय के पृष्ठांकन एम0ई0–1/2024/1818, दिनांक 11.074.2025 द्वारा राजकीय जे0के0कैंसर संस्थान, कानपुर में एम.एस.सी. नर्सिंग इन आंकोलॉजी कोर्स प्रारम्भ करने हेतु सृजित पदों के सापेक्ष शासनादेश संख्या–आई/889183/2025/71–1005(001)/20/2021 पार्ट–1, दिनांक 24.02.2025 एवं महानिदेशालय के पृष्ठांकन एम0ई0–1/ 2025/639–42, दिनांक 05.03.2025 के अनुपालन में जे0के0कैंसर संस्थान में एम.एस.सी. नर्सिंग इन आंकोलॉजी कोर्स के आचार्य व सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षत्कार (Walk In Interview) विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात प्रत्येक गूरुवार (Thursday) संस्थान की गठित समिति की संस्तुति के आधार किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों आदि तथा उनकी **स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के 02 सेट के साथ संस्थान के कक्ष सं0 87 में प्रातः 10:00 से 12:00 बजे के मध्य अवश्य उपस्थित हों।** निर्धारित समय के बाद उपस्थित होने वाले अभ्यथियों का साक्षत्कार (Walk In Interview) उस दिन नही लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में कहीं भी कार्यरत हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की विस्तृत जानकारी हेतु संस्थान की वेबसाइट www.jkci.org एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट www.updgme देखें

क्र0	विशिष्टता का नाम	पदनाम	कुल पदों की संख्या	रोस्टर श्रेणी	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	संविदा पद पर प्रदान किया जाने वाला नियत मानदेय (प्रतिमाह)
1	एम.एस.सी. नर्सिंग इन आंकोलॉजी कोर्स	आचार्य	01	अनारक्षित	M.Sc. (Nursing)	M.Sc. (Nursing) Total 12 years' experience with M.Sc. Nursing in Oncology out of which 10 years teaching experience after M.Sc. (Nursing) Ph.D. (Nursing) is desirable	रु0 1,00,000.00
2		सहायक आचार्य	02	अनुसूचित जाति–01 अन्य पिछडा वर्ग–01	M.Sc. (Nursing)	M.Sc. Nursing in Oncology with Total 3 years' teaching experience with M.Sc. (Nursing) including 5 years teaching experience Ph.D. (Nursing) desirable	रु0 70,000.00
कुल पद			**03**				

नोट– विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात माह के प्रत्येक गुरुवार (Thursday) को आयोजित साक्षात्कार में यदि लगातार 04 गुरुवार (Thursday) तक उपरोक्त आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपस्थित नही होता है तथा पद रिक्त रहता है तो ऐसे पदों पर 05 वें गुरुवार (Thursday) को अनारक्षित श्रेणी का साक्षात्कार लिया जाएगा।

निदेशक

शासनादेशानुसार संविदा पर तैनाती हेतु नियम व शर्ते निम्नवत है–

1. उपरोक्त सभी पदों पर अधिकतम आयु 68 वर्ष निर्धारित की गई है।
2. सविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शैक्षणिक कार्मिको को यही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
3. ड्यूटी 8 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नही की जायेगी।
4. संविदा कार्मिको को आकस्मिक अवकाश / चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगे।
5. महिला संविदा कर्मियो को मैटरनिटी लीव, मैटेरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।
6. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
7. सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
8. संविदा छोडने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
9. संविदा कर्मी सेवा में विनियमतीकरण, स्थायीकरण, पेंशन, बोनस आदि सुविधाओ के हकदार नहीं होंगे।
10. संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।
11. संविदा कार्मिक का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण, सम्बन्धित के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो जो इनका कार्यकाल बढाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरूद्ध मा० न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नहीं है, के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त बढाया जा सकेगा।
12. लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित / नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इनकी संविदा सेवाये स्वतः समाप्त मानी जायेंगी।
13. साक्षात्कार की तिथि, लिखित परीक्षा की तिथि व अन्य विवरण, एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाये विभाग की वेबसाईट www.dgme.up.gov.in एवं www.jkci.org पर समय–समय पर प्रदर्शित की जायेगी। अतएव वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।
14. साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्य प्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति एवं 02 फोटो अवश्य लाये।
15. सरकार / आई०एन०सी० के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानो का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।
16. संविदा शिक्षको को स्थानान्तरित नही किया जायेगा।
17. आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये मान्य ही स्वीकार होगा।
18. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के पश्चात का ही मान्य होगा।
19. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरुप आरक्षण अनुमन्य होगा।
20. शासन द्वारा समस–समय पर निर्गत संविदा सम्बन्धी अन्य नियम एवं शर्ते लागू होंगी।

निदेशक